FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

तहसीलदार मुकाम महवा

सरकार बनाम श्री गैरवा S/o राम सहाय मीना

मुकदमा धारा 91 LR Act नं. 327/18 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible].2.18	पटवारी हल्का की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 28.2.18 को पेश हो। तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	
28/2/18	पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी उपस्थित आया है। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश पर है। पत्रावली दिनांक 8/3/18 को पेश हो।	मोतीलाल
08/03/18	आज पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी उपस्थित आया है। अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त गैर मुमकिन की अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	मोतीलाल

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 327/18 तारीख रजू 19/3/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का हीड्या ----- बनाम श्री औरम्या ——पुत्र रामसहाय ---जाति माली -- निवासी सौंत ----- तहसील महवा।

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 8/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा -- हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री ---औरम्या--------- ने ग्राम ---सौंत------- को भूमि ख.न. ---391---- रकबा 0.01 किस्म गै०मु० रास्ता --- फसल रबि / ~~खरीफ~~ संवत 20 --75----- में ---बाडी---- कर अतिक्रमण किया है । इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। ~~उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया~~ उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव मे कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नही किया है। मुताबिक रिपोर्ट **पटवारी** अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. ---391--- रकबा 0.01-- **किस्म** गै०मु० रास्ता ---- वाके ग्राम सौंत ------ से बेदखल किया जाता है । तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.15 का 50 गुणा --8 रू-- शस्ति से दण्डित किया जाता है । तथा इस पर खडी फसल-----बाडी-----को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~ / नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों । तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)

रजिस्टर गा.व. के पेज नं. ...63....पर
वर्ष 2017-18 ...में ~~पैरा०/मिसल नीलामी~~
की राशि तादादी रुपये ...8 रू...पै०....
की जमा कायमी कर दी गई ।
दिनांक 21/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील-महवा